न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2833–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 5/अपील/2015–16.

1–भागचन्द्र पुत्र स्व0श्री रामदयाल
2–सुल्तानसिंह पुत्र स्व0श्री रामदयाल
निवासीगण ग्राम खुरैरी तहसील व जिला ग्वालियर

..............आवेदक

विरूद्ध

1–रामवीर सिंह पुत्र श्री देवीसिंह
निवासी रणधीर कॉलोनी तोमर आटाचक्की के पास, ग्वालियर
2–रामसिंह पुत्र श्री रामप्रसाद
निवासी ग्राम लेहचुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड

..............अनावेदकगण

3–महेशकुमार पुत्र श्री भरोसीलाल
निवासी सौदागर संतर मुरार ....फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खुरैरी की भूमि सर्वे कमांक 1074 रकबा मिन–3 रकबा 0.094 हैक्टेयर तहसील ग्वालियर में स्थित होकर अनावेदक कमांक 1 उक्त भूमि का भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है । अनावेदक कमांक 1 की ओर से विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा मुरार के समक्ष बटांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये राजस्व निरीक्षक से वाद भूमि के संबंध में बटांकन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर प्रकरण में बटांकन आदेश दिनांक 5–4–2013 को पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभगीय अधिकारी मुरार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 21–7–2015 को आदेश पारित कर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–7–2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विवादित सर्वे नम्बर 1074 रकबा 0.240 हेक्टैयर में से रकबा 0.120 हेक्टेयर भूमिस्वामी चतुरोबाई थी, चतुरोबाई ने रामगोपाल के हित मे मुख्त्यारनामा संपादित किया था। चतुरोबाई के स्वामित्व की भूमि रकबा 0.120 हेक्टेयर को जर्ये विकय पत्र दिनांक 14–5–1993 को महेश कुमार को विकय की गई । अनावेदक कमांक 3 को विकय करने के पश्चात् चतुरोबाई के स्वत्व का कोई रकबा बकाया शेष नहीं था

(2) जब चतुरोबाई का कोई रकबा शेष नहीं था फिर भी राजस्व अभिलेख में सडक के लिये अधिग्रहित किये गये रकबे का अमल न होने का फायदा उठाकर दूसरा मुख्त्यारनामा अशोक राणा के हक में संपादित कर विवादित भूमि जर्ये मुख्त्यारआम अनावेदक कमांक 1 को विकय कर दी । विवादित भूमि में चतुरोबाई का कोई स्वत्व नहीं था इसलिये अनावेदक

कमांक 1 के हक में हुआ विक्रय पत्र शून्य है । इस तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है, जबकि विवादित सर्वे कमांक 1074 का पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 ने प्रथम अपील के मूल आदेश दिनांक 20–5–15 तथा रिव्यु आदेश दिनांक 21–7–15 के विरूद्ध एक ही अपील की है जबकि मूल आदेश दिनांक 20–5–15 का है मूल आदेश के विरूद्ध अपील अवधि बाहय थी इस पर विचार न कर कानूनी भूल की है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 का पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 21–7–15 का है अनावेदक ने रिव्यु आदेश की अपील की है जबकि रिव्यु में पारित आदेश अपील योग्य न होकर निगरानी योग्य था जिसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी ।

(6) अंत में आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 3–11–04 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील ही नहीं की गई थी तब पंजी कमांक 16 / 15–9–2004 में पारित आदेश 5–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में जिसके द्वारा शिवनारायण, नाहरसिंह एवं राजकुमार के पक्ष में सर्वे कमांक 1088 पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया था जो कि अनावेदक कमांक 1 रामवीर सिंह के सर्वे कमांक 1074 से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में सर्वे कमांक 1074 के विषय में पारित नामान्तरण आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता है ।

(2) विवादित भूमि भूमिस्वामी रामसिंह एवं चतुरोबाई द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा द्वारा अशोक राणा को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त किया जा चुका था तब महिला चतुरोबाई को अपने 1/2 हिस्से का रामगोपाल को मुख्त्यारआम नियुक्त करने का अधिकारी था ।

(3) जब केता एवं विकेता अंतरण करने के लिये सक्षम हो, विकय की गई भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया हो एवं केता को अनुबंध दिनांक 23–3–1993 को कब्जा सौंप दिया गया हो तब रजिस्ट्रीकरण के अभाव में विकय पूर्ण होना माना जायेगा ।

(4) चतुरोबाई द्वारा अपने सहस्वामी के साथ पूर्व में निष्पादित अनुबंध पत्र एवं रजिस्ट्रीकृत मुख्त्यारनामा के विपरीत कुछ भी कहने से विबंधित है ।

(5) चतुरोबाई द्वारा अपने सहस्वामी के साथ अशोक राणा को भूमि विकय निष्पादन करने के पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे तब आवेदकगण के पक्ष में किये गये विकय के आधार पर आवेदकगण को नामान्तरण की अधिकारिता ही नहीं है ।

(6) आवेदकगण नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार नहीं थे, इस कारण उन्हें अपील अनुमति प्राप्त किये बिना अपील का अधिकार नहीं था ।

(7) प्रथम अपील न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर आदेश किया जाना आबद्धकर कर्त्तव्य है, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(8) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिवत् आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

(9) अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप आक्षेपित नहीं है किन्तु आदेश के अंतिम पैरा में आवेदकगण को नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, इस स्वतंत्रता को विलोपित किया जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से एवं निगरानी प्रकरण कमांक 2834–पीबीआर/2016 में हुये आदेश के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने से तहसील न्यायालय का नामान्तरण निरस्ती की पुष्टि हो गई है । निरस्त नामान्तरण के आधार पर हुये बटांकन को भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । इसी प्रकाश में

अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2016 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी मुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर